

मूल याद में अंतिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



सीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

रण संख्या :- 410/2025

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) -वादी

बनाम्

गुरदीप सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)  
रमनदीप कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

अमनदीप कौरपुत्री श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

किरणपाल कौर पुत्री श्री गुरदीप सिंह पत्नी श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) हाल आबाद रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)  
अमरजीत कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

इन्द्रा पुत्री श्री बहादर सिंह जाति जाट निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

हर्मजीत कौर पत्नी श्री ठाकर सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

मदूर सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

रुद्धारा साहिब नानकसर ग्राम पंचायत संतपुरां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

जसपाल कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

तरसेम सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

दलीप सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

मूप सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह जाति जाट निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

नजर सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

राजवीर सिंह पुत्र श्री अलबेल सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

सतपाल सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

मुमित्रा पुत्री श्री बहादर सिंह जाति जाट निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

हरबंस सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

हाकम सिंह पुत्र श्री फुमन सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

ईकबाल सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

हुलदीप सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

गुरजन्त सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

जगदीप पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

दर्शन सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

दलबारा सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री निका सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

राम कुमार पुत्र श्री लिछमन जाति जाट निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

लक्या सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

महासहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

संगरिया

लाभ सिंह पुत्र श्री मुन्वी सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)  
शाखा प्रबंधक पंजाब नैचल बैंक शाखा दीनगढतहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)  
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- १.6.2016

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कताई रुबरु हमारे  
जरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल प्रति.स. 1 ता 5  
श्री राधेश्याम झोरड़ वकील प्रति.स. 30 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार  
संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 5 ए.एम.पी. खाता सं. 5/4

1. सूपन पुत्र श्री गुरदीप सिंह 408/949 हिस्सा अमरजीत कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह 541/949  
हिस्सा समस्त जाति जटसिख निवासीगणदीनगढ :-

प.नं. मु.न. किला नं.  
170/143 16 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता,  
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता,  
7/0.095 है., 8/0.127 है.,  
13/0.126 है., 14/0.095 है.,  
कुल रकबा 0.949 है.नहरीमय गै.मु.

2. कुलदीप सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ:-

प.नं. मु.न. किला नं.  
170/143 16 8/0.126 है., 9/2/0.127 है.,  
12/2/0.126 है., 13/0.127 है.,  
कुल रकबा 0.506 है. कृषि भूमि,

3. लक्खा सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ:-

प.नं. मु.न. किला नं.  
170/143 16 7/0.158 है., 14/0.158 है.,  
कुल रकबा 0.316 है. कृषि भूमि

3. लाभ सिंह पुत्र श्री मुन्वी सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ:-

प.नं. मु.न. किला नं.  
171/143 15 20,21/0.253 है.प्र.,  
कुल 0.506 है.नहरी,

चक 5 ए.एम.पी. के खाता सं. 29/82

1. जसपाल कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा:-

प.नं. मु.न. किला नं.  
171/141 18 3/0.063 है., 12/0.102 है.,  
7,8,13,14,17,18,19/0.253 है.प्र.,  
20/0.025 है.,  
कुल 1.961 है.नहरी मय गै.मु.,

2. भूप सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह(फौत), सुमीत्रा पुत्री श्री बहादुर सिंह (फौत), इन्द्रा पुत्री श्री  
बहादुर सिंह जाति जाट निवासी दीनगढ

प.नं. मु.न. किला नं.  
171/140 17 23/0.253 है.,  
171/141 18 9,11/0.253 है.प्र., 12/0.151 है.,  
20/0.228 है.,  
कुल रकबा 1.138 है.,

3. गुरुद्वारा साहिब नानकसर ग्राम पंचायत संतपुरा:-

प.नं. मु.न. किला नं.  
171/140 17 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.खाला,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.खाला,  
17,24/0.253 है.प्र.,  
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.खाला,  
कुल 1.265 है.नहरी मय गै.मु.,



महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

4. जसपाल कौर पत्नी श्री सरजीत सिंह का हिस्सा:-

प.नं.  
171/141 18

मु.न.

किला नं.

3/0.190 है, 4/0.253 है,

कुल 0.443 है,

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः श्रुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के शर्त दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1069 दिनांक 05.03.24 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का नुकसान दूर कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में जगदीपकौर, गुरप्रीतकौर द्वारा रकबा क्रय किया जाना अंकित है लेकिन उक्त काश्तकार प्रकरण में ना तो पक्षकार संयोजित है एव न ही हाजिर अदालत है इसलिए उक्त रकबा संबंधित काश्तकार के नाम यथावत रखा जावे तथा जिन मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नेज.  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

वसूल मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.6.2024 को खुले न्यायालय में जारी



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
महोपायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया